कार्यालय गन्ना विकास परिषद शामली जनपद–शामली

CDDT-2

पत्रांकः 270/c

:अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना
(ई–प्रोक्योरमेन्ट सूचना)

दिनांकः 10-11-2017

गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊके निर्देशो के अनुपालन में दिनांक 23.10.2017 को आमंत्रित निविदायें जिनका प्रकाशन दैनिक अमर उजाला समाचाार पत्र के दिनांक 13.10.2017 के संस्करण में हुआ था। तथा संशोधन कर निविदा दिनांक 24.10.2017 कर दी गई थी। गन्ना आयुक्त महोदय द्वारा अपरिहार्य कारणो से निरस्त कर दिया गया था। निविदाओं को मुख्य अभियन्ता महोदय के पत्रांक 1207 / सी0 / 12–निर्माण दिनांक 06.11.2017 के निर्देशानुसार गन्ना विकास परिषद शामली जनपद शामली द्वारा गन्ना विकास विभाग एंव राज्य / केन्द्र सरकार के समस्त राजकीय विभागों में 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यो हेतु प्रतिशत दर पर मुहरबन्द आनलाईन–http://etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती हैं–

क0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	लागत ला0रू0में	धरोहर धनराशि ला0रू0में	निविदा प्रपत्र का मूल्य (स्टेशनरी+निविदा मूल्य 18% जी.एस.टी.सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	मंत्री गन्ना विकास परिषद का नाम	जिला गन्ना अधिकारी का पता	उप गन्ना आयुक्त का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		विशेष मरम्मत, सतह नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य								
1	शामली	शामली झिंझाना मार्ग से कसेरवा खुर्द	2.000	18.42	1.84	500+300+54=854	30.11.2017	गन्ना विकास परिषद शामली।	कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी गन्ना समिति परिसर कमला कालोनी शामली।	कार्यालय उप गन्ना आयुक्त हकीकत नगर, सहारनपुर।
2	शामली	कैराना से धौसी चोकी मार्ग	0.930	5.84	0.58	500+300+54=854	30.11.2017			
3	शामली	किवाना से बिजली घर की ओर	1.000	6.68	0.67	500+300+54=854	30.11.2017			
4	शामली	बीनडा से गुज्जरपुर मार्ग	2.300	34.08	3.41	500+300+54=854	30.11.2017			
5	शामली	तितरवाडा से डूढार	2.350	34.78	3.48	500+300+54=854	30.11.2017			
6	शामली	लांक से खेडी पटटी मार्ग	2.030	13.82	1.38	500+300+54=854	30.11.2017			
7	शामली	कैराना देहात टेलीफोन एक्सचेंज से कैराना शामली रोड	0.850	5.64	0.56	500+300+54=854	30.11.2017			
8	शामली	स्कूल पार्क से घोलरा मोड	1.000	6.84	0.68	500+300+54=854	30.11.2017			
9	शामली	मेरठ करनाल मार्ग से नयागांव	1.300	20.40	2.04	500+300+54=854	30.11.2017			
10	शामली	ग्राम भूरा मे कब्रिस्तान से जंधेडी	1.400	8.33	0.83	500+300+54=854	30.11.2017			
11	शामली	गोगवान से कसेरवा खुर्द	2.500	25.27	2.53	500+300+54=854	30.11.2017			
12	शामली	मंसूरा से तिसंग	1.000	9.65	0.97	500+300+54=854	30.11.2017			
13	शामली	गोगवान से कसेरवा खुर्द अवषेश भाग	0.730	10.33	1.03	500+300+54=854	30.11.2017			
14	शामली	मेरठ करनाल मार्ग से कसेरवा खुर्द	0.500	3.66	0.37	500+300+90=854.	30.11.2017			
15	शामली	कैराना–धौसी चौकी मार्ग	1.000	6.51	0.65	500+300+54=854	30.11.2017			
16	शामली	भिक्का माजरा से बिजली घर की ओर	1.000	6.78	0.68	500+300+54=854	30.11.2017			
17	शामली	लिसाड से सरनावली	1.370	8.10	0.81	500+300+54=854	30.11.2017			
18	शामली	शामली बुढाना मार्ग से बरला जट	1.500	9.72	0.97	500+300+54=854	30.11.2017			
19	शामली	मेरठ करनाल मार्ग से बुटराडी बाईपास	1.050	8.51	0.85	500+300+54=854	30.11.2017			
20	शामली	लाख खरड मार्ग से लाख की ओर	1.620	7.08	0.71	500+300+54=854	30.11.2017			
21	शामली	बनत गोहरपुर मार्ग से भिक्की देह कुडाना मार्ग	1.060	23.95	2.40	500+300+54=854	30.11.2017			
22	शामली	गोहरनी फाटक से करीडी मोड	1.075	8.45	0.85	500+300+54=854	30.11.2017			

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार है–.

1–ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशित होने की तिथि 11.11.2017

2–प्रत्येक निविदा के साथ निविदा सूचना की तालिका में कालम न. 7 के-अनुसार अप्रत्यर्पणीय शुल्क (नान–रिफण्डेबल फीस) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में उपरोक्त धनराशि के लिए सचिव, गन्ना विकास परिषद, शामली जनपद–शामली के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी अंकित कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://etender.up.nic.inसे दिनांक 13.11.2017 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 18.11.2017 सांय 5:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती हैं।

3–बिड डाक्यूमेन्ट्स की उपलबधता एवं बिड सबमिट (SUBMIT)करने का माध्यम–

(क)– बिड डाक्यूमेन्ट्स आनलाईन दिनांक 13.11.2017 से दिनांक 18.11.2017 तक उपलब्ध है जो आनलाईन http://etender.up.nic.inपर दिनांक 18.11.2017 को सांय 5:00 बजे तक सबमिट किया जायेगा तथा फाईनेंशियल बिड दिनांक 20.11.2017 की दोपहर 02:00 बजे कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी जनपद–शामली में खोली जायेगी।

(ख)–निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है जो निःशुल्क है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग प्राधिकरण द्वारा जारी वैध डिजिटल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नही होगा।

4–निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र उपरोक्त निविदा के कालम संख्या–09 में दर्शाये गये कार्यालय में दिनांक 18.11.2017 सांय 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा ना किये जाने की
दशा में निविदा नान–रेस्पोंसिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होंगे।

(क) निविदा मूल्य सम्बन्धित डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(ख) सिक्योरिटी (बिड डाक्यूमेन्ट के अनुसार अनुमन्य रूप मै) मूल (ओरिजिनल) में।

(ग) बिड डाक्यूमेन्ट के आई0टी0बी0 के अनुरूप निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ–पत्र मूल (आरिजनल) में

5–10 लाख से अधिक लागत के कार्यो पर टैक्नीकल बिड अनिवार्य होगी।

6– निविदा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों को जिस लिफाफे में बंद कर उपलब्ध कराया जाये उस पर निविदादाता द्वारा केवल बिड आई0डी0संख्या (जो आनलाइन निविदा सबमिट करने पर वेबसाइट द्वारा प्रजनित होती है) एवं कार्य का नाम ही अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपना अथवा अपनी फर्म का नाम अंकित नही किया जायेगा। डाक में हुई देरी के लिए निविदा आमन्त्रितकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होंगे।

7– धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेन्ट्स) में निर्धारित किसी एफ0डी0आर0 रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैध होनी चाहिए। जा किसचिवन्ना विकास परिषद शामली जनपद शामली के पक्ष में बन्धक होगा। बैंक गारण्टी मान्य नही होगी। अनु0जाति/जनजाति के पंजीकृत ठेकेदारों को धरोहर धनराशि शा0सं0–3460/23.7.208–41 एम.एस.ए./54 टी.सी.–IIIअनुभाग–7 दिनांक 28.7.08 के अनुपालन में अनुमानित लागत के अनुसार देय होगा।

8– विस्तृत विवरण आन–लाईन http://etender.up.nic.inपर देखें जा सकते हैं। आन–लाईन सिस्टम में रूकावट होने पर अनापेक्षित देरी के लिए निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

9– कार्यादेश प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त ही जारी किये जायेगें।

10– निविदा की वैद्यता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन तक होगी। वैद्यता की अवधि में निविदा को वापिस नही लिया जायेगा।

11– जी0एस0टी0 की दरें शासनादेश के अनुसार देय होगी।

12–आई0टी0बी0 के क्लाज के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो सेवानिवृत्त की अवधि 02 वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी काम के लिए प्रतिबन्धित होंगें। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने के पहले राज्य सरकार से अनुमति नही ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13–निविदा से सम्बन्धित निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग, विशिष्टियॉं, मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है को सम्बन्धित मंत्री, गन्ना विकास परिषद/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति के कार्यालय में जिनका उल्लेख कॉलम न0–08 में किया गया है, जिसको किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से 05:00 बजे तक दिनांक 13.11.2017 से दिनांक 18.11.2017 तक देखा जा सकता है।

14– निविदादाता को यह परामर्श दिया जाता है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व वास्तविक कार्यस्थल जांच करने के साथ–साथ ही निर्माण कार्यों के सवाल भी देख लें, यह समझा जायेगा कि निविदा डालने के पहले उन्होने कार्यक्षेत्र/स्थानीय दशाओं, रेखाचित्र, विशेष विवरणों, संविदा शर्तों से परिचित हो लिए हैं।

15– कोई भी निविदाकर्ता जिसका आपराधिक रिकार्ड है निविदा में भाग लेने से प्रतिबन्धित हैं। ऐसे निविदाकर्ता जो राज्यविधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगें। (निविदा डालने के योग्य नही होगें)

16– निविदाकर्ता द्वारा सभी सूचना/डाक्यूमेन्ट्स निर्धारित प्रपत्र (सीसीडी–टी–4, सीसीडी–टी–5, सीसीडी–टी–6) में प्रत्येक निविदा के साथ सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से सत्यापित कराकर मूलरूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

17– कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

18– शासनादेश संख्या–6738/23–07–2006–176 (एल.के.ओ.)/06 दिनांक 05.01.2007 के अनुसार निविदा/निविदा सूचना का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में अनुमोदित है। परन्तु निदेशक सूचना एवं सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार निविदा सूचना हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित की जा

सकती है। इसी क्रम में इस निविदा सूचना को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित किया गया है। किसी प्रकार की भिन्नता/विषमता पाये जाने पर अंग्रजी भाषा की निविदा सूचना अन्तिम मानी जायेगी।

19– कार्य के बीजक का भुगतान करते समय नियमानुसार जी.एस.टी., आयकर, लेबर सेस एवं अन्य आरोपित करो की कटौती की जायेगी।

20– कार्य की मात्राऐं घटाई या बढाई जा सकती हैं।

21– निर्माण कार्य पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वसूली निकलती है तो उसका व्यय वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

22– अनुबन्ध गठन के समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा।

23–शासनादेश संख्या–622/23.12.2012–02 आडिट/08 टी.एस.–02 दिनांक 08.6.2012 के आदेशानुसार प्रतिशत कम दर देने पर ठेकेदार को अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न प्रकार देय होगा।

(क)– 10 प्रतिशत कम दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर

(ख)– 10 प्रतिशत अधिक दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर

24– गन्ना आयुक्त स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

25– विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।

26– निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिए डिफेक्ट लायबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से एक वर्ष बाद तक एवं सतह नवीनीकरण, सुदृढीकरण, विशेष मरम्मत दो वर्ष बाद तक होगी।

27– समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग, एम.ओ.आर.डी. की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया जायेगा।

28– समस्त दरो में जी.एस.टी. को छोडकर समस्त प्रकार के कर, रायल्टी एवं लाभांश सम्मिलित हैं।

29– ठेकेदार को रायल्टी भुगतान का यथाचित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में रायल्टी देयक भुगतान के समय अनुमन्य दरों के अनुसार ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।

अवर अभियन्ता
गन्ना विकास परिषद
शामली(शामली)

सचिव
गन्ना विकास परिषद
शामली (शामली)

कार्यालय गन्ना विकास परिषद, शामली, जनपद–शामली

पत्रांक /निर्माण दिनांक..................

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अवर अभियन्ता, गन्ना विकास परिषद, शामली जनपद–शामली।

2– सहायक अभियन्ता, गन्ना विकास विभाग, शामली।

3– जिला गन्ना अधिकारी, महोदय, शामली।

4– अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता महोदय परिक्षेत्र सहारनपुर।

5– उप गन्ना आयुक्त, महोदय, परिक्षेत्र सहारनपुर।

6– अधिशासी अभियन्ता, महोदय, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृप्या लोक निर्माण विभाग के अन्य खण्डों को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

7–अधिशासी अभियन्ता महोदय, जिला पंचायत, शामली।

8– उप निदेशक महोदय, मण्डी, सहारनपुर।

9–मुख्य अभियन्ता, महोदय, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सचिव
गन्ना विकास परिषद
शामली(शामली)

Signature Not Verified
Digitally signed by ANIL KUMAR BHARTI
Date: 2017.11.12 08:21:23 IST
Location: Uttar Pradesh